न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 34/2026 बउनवानी महावीर बनाम प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग
निवासी ग्राम बॉसी तहसील नैनवा जिला बूंदी

GCMS No-2026/60

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.1.2026. को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभि0 अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्र कमांक भू.अ./2024/277 के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खाता संख्या 32 ख0न0 1160 रकबा 0.13 है ग्राम जाजेडा तहसील चौथ का बरवाडा का सीमाज्ञान डीजीपीएस मशीन से करने वास्ते कार्यालय भू0प्रंधक विभाग टोंक को उक्त ग्राम की मूल शीट/मोमिया ट्रेस की हार्ड या साफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना**" प्रभारी अधिकारी भू0अभि0 अनुभाग से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभि0 अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0 अभिलेख अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/एफ.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2026/1652 दिनांक 17.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2026 मे चाही गयी सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी रिकार्ड कीपर के पत्रांक 712 दिनांक 6.2.2026 व 866 दिनांक 17.2.2026 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि ग्राम जाजेडा के ख0न0 1160 रकबा 0.13 है0 की मूल शीट जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.01.2026 मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड (मूल शीट) जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु उक्त सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने का विधिसम्मत कारण बतावे अन्यथा वांछित सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस में उपलब्ध करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner